भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 809

05 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों के उपयोग से कोविड-19 का उपचार

809. श्री चुन्नीलाल साहूः
श्री मोहन मण्डावीः

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) आयुष के उपचारों/औषधियों की सहायता से कोविड-19 के इलाज हेतु किए जा रहे प्रयासों म अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कोविड-19 संकट के दौरान लोगों की देखभाल हेतु क्या कदम उठाए गए ह; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय द्वारा गठित अंतरविषयक आयुष अनुसंधान और विकास कायदल ने नैदानिक अनुसंधान प्रोटोकॉल तैयार और डिजाइन किए ह ताकि चार अलग-अलग उपचारों यथा अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडची+पिप्पली और एक पॉली हबल औषधयोग (आयुष-64) के अध्ययन हेतु देशभर के विभिन्न संगठनों के उच्च प्रतिष्ठित विशषज्ञों के परामश और समीक्षा के जरिए रोगनिरोधक अध्ययन और कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों का सहायक उपचार किया जा सके। कायदल ने परिषदों की जांच समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को हाथ म लिया है और उपलब्ध संकेतों के आधार पर संभावनाओं का अधिक सक्रियता के साथ पता लगाया है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान लोगों की देखभाल के लिए निम्नलिखित कदम उठाए ह:

i. आयुष मंत्रालय ने 29.01.2020 को ऐडवाजरी जारी की कि कोविड से कैसे कोई अपना बचाव कर सकता है और कैसे स्वस्थ रह सकता है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है

जिसम लोगों को सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संभावित आयुष उपचार के बारे म और अधिक विशिष्ट सुझाव दिए गए ह। मंत्रालय ने श्वसन स्वास्थ्य का विशेष उल्लेख करते हुए निवारक स्वास्थ्य उपायों के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 31.03.2020 को स्वयं-देखभाल दिशानिदश भी जारी किए ह।

ii. आयुष की अलग-अलग पद्धतियों (आयुवद और होम्योपैथी सहित) के पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों के लिए दिशानिदश, अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अपने-अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ मिलकर तैयार किए गए ह और आयुष मंत्रालय के अंतर्विषयक आयुष अनुसंधान और विकास कायदल द्वारा इनकी पुनरीक्षा की गई है। ये पुनरीक्षित दिशानिदश 7,00,000 से अधिक पंजीकृत आयुष चिकित्साभ्यासियों के लाभार्थ पब्लिक डोमेन म उपलब्ध कराए गए ह ताकि कोविड-19 महामारी के एक समान प्रबंधन म मदद मिल सके।

iii. आयुष मंत्रालय ने आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप विकसित किया है और कोविड-19 के निवारण म आयुष ऐडवाइजरी और उपायों की प्रभाविकता, स्वीकायता तथा उपयोग के प्रभाव के आकलन का प्रलेखन किया है। इस मोबाइल ऐप आधारित आबादी के अध्ययन म लगभग 1.5 करोड़ प्रत्यर्थी शामिल किए गए। 85.1% प्रत्यर्थियों ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष उपायों के प्रयोग के बारे म सूचित किया जिसम से 89.8% इस बात से सहमत थे कि उन्ह आयुष ऐडवाइजरी के अभ्यास से लाभ हुआ है। 79.1% प्रयोगकताओं का जवाब था कि उन्होंने आयुष उपायों से ज्यादा स्वस्थ महसूस किया। 63.4% ऐसे थे जिन्होंने स्वस्थता के मापदंडों जैसे नींद, भूख, अन्त्र क्रियाओं, जोश और मानसिक स्वस्थता म सुधार होने के बारे म सूचित किया।

iv. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 33,000 आयुष मास्टर ट्रेनस को प्रशिक्षित किया है। कुल 66045 आयुष कार्मिकों ने भी igot.in प्लेटफाम पर लगातार प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आयुष मानशक्ति का कोविड योद्धाओं के रूप म चिह्नित भूमिकाओं के साथ उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया है। राज्य आयुष निदेशालयों द्वारा कुल 105681 आयुष कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 39555 आयुष कार्मिकों को कोविड-19 के लिए तैनात किया गया है।

v. साथ ही, कोविड-19 महामारी के चलते, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के महत्व को ध्यान म रखते हुए, आयुष मंत्रालय ने जनमानस के स्वास्थ्य-वधन के हित म तैयार-शुदा आयुष औषधयोगों यथा, 'आयुष क्वाथ' (आयुवद) अथवा 'आयुष कुडिनीर' (सिद्ध) अथवा 'आयुष जोशांदा' (यूनानी) के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है।

vi. आयुष मंत्रालय ने 28.07.2020 को एक आदेश जारी किया है जिसम राज्य/संघ राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को निदश दिए गए ह कि वे कोविड-19 के लिए नैदानिक जांच/अनुसंधान अध्ययनों हेतु भेजे जाने वाले आयुवद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधों के लाइसस हेतु आवेदन अग्रेषित कर।

vii. आयुष मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे कोविड-19 के रोगियों के उपचार म सहायता देने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

*****